कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1790 / XXV–12 / 2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 01 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री नारायण दत्त जोशी,
पुत्र श्री तारा दत्त जोशी,
ग्राम चकसैदुला, तल्ली पोखरी,
ग्राम पंचायत–पोखरी मल्ली, तह0–धारी,
जिला– नैनीताल।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 2736 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 के साथ अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या 01 चाही गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विधानसभा एवं लोकसभा की निर्वाचक नामावली एवं फोटो पहचान पत्र बनाये जाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। जिसके लिए आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के भाग–3 निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा ।]

[1][**13गग. मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना--** इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

[2][**13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां--** (1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैंड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो ट्यूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्तः तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबंध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) भाग 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं ।]

भाग 3

[3][[4]*** निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

[5][**14. परिभाषाएं--** इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है; [4]***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की [6][जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :]

---

1. 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 7 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 5 द्वारा (1-1-1959 से) "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली---हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं --- (1) यदि कोई व्यक्ति---

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा----एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो---

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ---[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।

[2] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

[3] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विशेष वाहक

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 2736 / रा.नि.आ.-1 / 1861 /2014

दिनांक 26-11-2014

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया संलग्न श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री तारा दत्त जोशी, ग्राम–चकसैदुला तल्ली पोखरी, ग्राम पंचायत–पोखरी मल्ली, वि0खण्ड–ओखलकॉडा, तह0 धारी, जिला–नैनीताल पिन–263157 का दिनांक रहित सूचना का अनुरोध पत्र जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 25.11.2014 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई **बिन्दु संख्या–01** की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र (छायाप्रति)

भवदीय,
26-11-14
(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

श्री सेमवाल
कृ. तत्काल वांछित
सूचना आवेदक को।
27/11/2014

संख्या– /रा0नि0आ0–1/1861/2014 तद्दिनांक। (पंजीकृत डाक से)

प्रतिलिपि सूचनार्थ –श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री तारा दत्त जोशी, ग्राम–चकसैदुला तल्ली पोखरी, ग्राम पंचायत–पोखरी मल्ली, वि0खण्ड–ओखलकॉडा, तह0 धारी, जिला–नैनीताल पिन–263157

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : Sec.uttarakhand@gmail.com

(1861)

3084
25-11-14

प्रेषक, - नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री तारा दत्त जोशी
ग्राम चकसैदुला तल्ली पोखरी
ग्राम पंचायत - पोखरी मल्ली
विकासखण्ड ओखलकांडा
तहसील - धारी नैनीताल
पिन - 263157

सेवामें श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / राज्य निर्वाचन अधिकारी महोदय
देहरादून उत्तराखण्ड

पत्रांक मैमो / लोक सूचना अपील 2014, दिनाँक 19 नवम्बर 2014

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में

महोदय
उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने की कृपा करे, महोदय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचनाये बिन्दुवार उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1.) पहचान पत्र बनाने एवं वोटर लिस्ट में नाम लिखने के लिए कितने वर्ष पूर्ण होने चाहिए।

(2.) ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु कितने वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।

(3.) ग्राम पंचायत पोखरी मल्ली की ~~ग्राम प्रधान~~ नव निर्वाचित ग्राम प्रधान सुनीता देवी की उम्र सम्बन्धी मामला जो कि उपजिलाधिकारी महोदय धारी नैनीताल की अदालत में विचाराधीन है। आपके संज्ञान में है या नहीं।

(4.) महोदय ग्राम पंचायत पोखरी मल्ली की ~~ग्राम~~ नव निर्वाचित ग्राम प्रधान सुनीता देवी की उम्र इनके विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार 21 वर्ष से कम है महोदय चुनाव आयोग के नियमानुसार इनको सही है या गलत, अगर सही है तो इनको आजतक बहाल क्यों नहीं किया गया तथा सही नहीं है तो आजतक इनको ग्राम प्रधान पद से क्यों नहीं हटाया गया।

(5.) महोदय निर्वाचित प्रत्याशी की उम्र अगर निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार कम होती है तो ऐसी स्थिति में दूसरे नम्बर में रहे प्रत्याशी को कार्यभार सौंपा जाता है, या उपप्रधान को कार्यभार सौंपा जाता है, या पुनः चुनाव कराया जाता है।

अतः महोदय से आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त सूचनायें बिन्दुवार उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे

सादर, भवदीय
(नारायण दत्त जोशी)

संलग्नक - रु. 10/= दस रुपये मूल्य का पोस्टल आर्डर

[Margin notes:]
(3) मा० अधिकारी
received Po-29F 515873
Rs- 10/-
[signature] 25/11/14
25-11-14

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 179/XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 01 नवम्बर, 2014

सेवा में,

Shri Satish S. Kambiye (M.Com. L.L.L.B)
R/O Sanjay Nagar, Phugewadi,
Atpost-Dapodi, Dist.- Pune, Maharashtra.

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं:–

1. बिन्दु संख्या 01 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य के किस राजनैतिक पार्टी/दलों ने चुनाव पूर्व समझौता कर साथ में चुनाव अभियान चलाये जाने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 02 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में सम्पन्न लोक सभा सामान्य निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्टार प्रचारक की प्रति संलग्न प्रेषित है।
3. बिन्दु संख्या 03 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य के किस राजनैतिक पार्टी/दलों ने चुनाव पूर्व समझौते की लिखित जानकारी संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सिद्धार्थ बंसल
सह संयोजक
प्रोटोकॉल समिति

भारतीय जनता पार्टी
उत्तराखण्ड

28.04.2014

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विषय :– स्टार प्रचारकों के वाहन पास हेतु।

महोदय,

अनुरोध है कि लोक सभा चुनाव 2014 हेतु भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में पूर्व की भांती इस बार भी वाहन पास जारी करने का कष्ट करें। स्टार प्रचारकों की सूची एवं पूर्व में जारी वाहन पास का प्रारूप संलग्न।

धन्यवाद।

(सिद्धार्थ बंसल)
MOB - 9411111131

28/4/2014.

. Ramakrishna
IAS (Retd.)
IP (Rajya Sabha)
onvener, Election Cell
el: 23005840(O) 23325258(R)
lob: 9899338889

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

Dated: April 11, 2014

To,

The Election Commission of India
Nirvachan Sadan
Ashok Road,
New Delhi-110001

Attn: Shri V.S. Sampath, Chief Election Commissioner
Attn: Shri Vinod Zutshi, Deputy Election Commissioner

only 1 letter Recd and Docfe

Sir,

I enclose a list of leaders of the **Bharatiya Janata Party** who would be participating in the Election Campaign pertaining to the current General Elections to the Lok Sabha 2014, in **UTTARAKHAND (Schedule 8)**. This list is in fulfilment of Explanation (2) to Section 77 of the Representation of People Act 1951.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

(R. Ramakrishna)

Copy to:

1. Chief Electoral Officer, Uttarakhand

Copy also to:

1. Shri Lal Krishna Advani
2. Adhyaksh Ji (Shri Rajnath Singh)
3. Shri Ramlal Ji
4. BJP State President, Uttarakhand
5. BJP State Prabhari, Uttarakhand
6. Shri Mukhtar Abbas Naqvi

आज दिनांक 01.12.14 को प्राप्त
01-12-1

ANNEXURE 2

FORM A—FORM OF APPLICATION FOR SEEKING INFORMATION

(See rule 3)

I. D. No. ....
(For official use)

To,

The Competent Authority.

STATE PUBLIC INFORMATION OFFICER
O/O The chief Electoral officer
Uttarakhand Dehradun

1. Name of the Applicant SATISH S. KAMBIYE (M.com. LL.B)
2. Address R/o Sanjay Nagar, Phugewadi Atpost - Dapodi Dist- Pune Pin - 411012 (MAHARASHTRA)
3. Particulars of information
   - (a) Concerned Department : Record and Information
   - (b) Particulars of information required : Political partys' alliance with BJP
     - (i) Details of information required : Information about GENERAL ELECTION - 2014
     - (ii) Period for which information asked for : 7 to 10 days on receipt of this application
     - (iii) Other details : SEE BELOW.
4. I state that the information sought does not fall within the restrictions contained in section 6 of the Act and to the best of my knowledge it pertains to your office.
5. A fee of Rs 10/- ten has been deposited in the office of the Competent Authority *vide* No 10F 830760 dated 10/09/2014

Place : PUNE
Date : 20/11/2014

SATISH S. KAMBIYE
(Name & Signature)
Email address: pdlmoa@gmail.com
Tel No : 9325016503

Provide information of GENERAL ELECTION - 2014

- (1) Name of that political parties (i.e. state party, Registered (unrecoganised) party) which made alliance and campaign jointly with Bhartiya Janta Party in the State.
  भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में मित्र राजनैतिक पार्टी / दलों ने चुनाव पूर्व समझौता कर साथमें चुनाव अभियान चलाया उनके नाम/नामों की सूची दिजीए।
- (2) Certified copies of list of Star campaigners admitted by BJP & allied parties.
  भारतीय जनता पार्टी तथा साझेदार राजनैतिक पार्टी, दल के चुनाव प्रचार अभियान हेतु निश्चित (दाखिल) कि गयी सितारे प्रचारक नाम सूची कि प्रमाणित प्रत दिजीए।

NOTICE सूचना - (1) Languge of reply to this application shall be English only.
इस आवेदन के प्रतीउत्तर की भाषा अंग्रेजी होनी चाहीए।

NOTICE सूचना - (2) Please write Name of POST OFFICE on attached postal order No. 10F 830760 for remittance of prescribed fee.
कृपया साथ मे जोड़े पोस्टल ऑर्डर पर आपके क्षेत्र के डाकघर का नाम लिखेए।
इससे आपको उचित मूल्य प्राप्त होने मे सुविधा होगी।

- (3) Provide certified copies (if any) admitted by BJP & Allied parties about information of such alliance.
  भारतीय जनता पार्टी तथा साझेदार पार्टी, दलों ने चुनाव पूर्व इस समझौते की, अगर लिखित जानकारी दी हो तो उसकी प्रमाणित प्रती दिजीए।

SATISH S. KAMBIYE